

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

चुनाव/अत्यावश्यक

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) इन निर्देशों को
अधीनस्थ अधिकारियों को
भेजने से पूर्व स्वयं भी पढ़ें।

क्रमांक: एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2024/ 2950
संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) (कलक्टर)
(49 नगरीय निकाय एवं नवगठित नगरीय निकायों से संबंधित)।

दिनांक: 22.08.2025

विषय:- 49 नगरीय निकायों एवं नवगठित नगरीय निकायों के आम चुनाव, 2025 हेतु निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य की 49 नगरीय निकायों (परिशिष्ट-1) जिनका 05 वर्षीय कार्यकाल नवम्बर, 2024 को समाप्त हो चुका है तथा नवगठित नगरीय निकायों के आम चुनाव होने हैं। इसी संदर्भ में म. उच्च न्यायालय द्वारा SBC W.P. No. 3422/2025 महावीर प्रसाद गौतम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्धारित समयावधि में आम चुनाव कराये जाने के संदर्भ में टिप्पणी की गई है। आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 से 15 तथा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के अनुसार करवाया जाना है। नगरपालिकाओं के लिए वार्डवार निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आक्षेपों का निस्तारण कर मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से तैयार कर प्रकाशित करने का दायित्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों का है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए मतदाता सूचियों की तैयारी से संबंधित समस्त कार्य संपादित करेंगे।

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 16 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2025 के संदर्भ में करवाया जाएगा। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु विधानसभा की निर्वाचक नामावली, 2025 के अद्यतन डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कर, उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर अग्रिम कार्यवाही संपादित की जाएगी।

A - प्रारूप मतदाता सूची तैयार एवं भौतिक सत्यापन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (सीएल) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों के डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागों के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रणाली के माध्यम से तैयार करवाएंगे। इन सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र-ए (परिशिष्ट-2) तैयार किया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-ए की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति करा काम में ली जा सकती है।

2. प्रपत्र-ए में अंकित कॉलम में सूचनाओं को भरने का विवरण :-

- प्रपत्र में ऊपर नगरपालिका एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
- कॉलम नं. 2 में संबंधित नगरपालिका जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखा जायेगा।

26/

- कॉलम नं. 3 में जिस नगरपालिका से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भाग का नंबर अंकित किया जाएगा।
 - कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं 3 में अंकित विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका वार्ड से संबंधित भाग के मतदाताओं की कम संख्या (कहाँ से कहाँ तक) अंकित की जाएगी।
 - कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता नगरपालिका के जिस वार्ड से संबंधित हैं उस वार्ड की संख्या लिखी जाएगी।
 - कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी।
3. आयोग के पत्रांक 3530/18.11.2024 के द्वारा 07 दिवसों में प्रगणकों की नियुक्ति संबंधी कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। यदि अभी तक प्रगणकों की नियुक्ति नहीं की गई है तो प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य तुरन्त पूर्ण कर लिया जाए साथ ही नवगठित नगरीय निकायों के लिए प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य भी तुरन्त पूर्ण कर लिया जाए।
 4. निर्वाचक नामावली की तैयारी हेतु प्रगणकों को समुचित प्रशिक्षण के बाद ही सूची भेजने का वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए। अतः प्रगणकों के प्रशिक्षण के तुरन्त पश्चात् प्रपत्र-ए तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए। यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय पर ही सभी प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डों के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरों को जानकारी देकर उन्हें नगरपालिका के लिए अलग-अलग भागों में विभाजित कर लें। यह ध्यान रखा जाए कि नगरपालिका वार्ड के किसी एक भाग में दो वार्डों के मतदाता सम्मिलित नहीं हो।
 5. नगर निकायों में वार्डों के भाग बनाए जाते समय तथा समस्त विधानसभा के भागों के अनुरूप ही भाग बनाए जाए। सामान्यतः नगरपालिका का सम्पूर्ण वार्ड एक ही विधानसभा क्षेत्र में समाहित होगा। यदि किन्हीं मामलों में इसमें भिन्नता पाई जाती है तो नगरपालिका हेतु भाग बनाए जाते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक मौहल्ला/कॉलोनी/गली के मतदाताओं को एक ही भाग में रखा जाए, चाहे उस भाग के लिए मतदाताओं की संख्या 1400 से थोड़ा कम या ज्यादा हो रही हो।
 6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि नगरपालिका के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 07.01.2025 को किया गया है, को उपयोग में लेना है।
 7. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के कौन-कौन से भाग किस वार्ड में सम्मिलित हैं, ये पता लगाएंगे। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो नगरपालिका कार्यालय के कर्मचारियों की सहायता ली जा सकती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उचित रहेगा कि प्रगणकों के प्रशिक्षण के दिन नगरपालिका के कर्मचारियों को भी उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित करें।
 8. यद्यपि यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में जारी पत्र संख्या 3530 दिनांक 18.11.2024 में प्रदान किये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाता रखे जाए, चूंकि विधानसभा की मतदाता सूचियों के प्रत्येक भाग में भी भारत निर्वाचन आयोग ने यही मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं। इसलिए विधानसभा की मतदाता सूची के अधिकांश भाग नगरपालिका के वार्डों के भागों के समरूप ही होंगे। यदि विधानसभा की मतदाता सूची के किसी भाग में 1400 से अधिक मतदाता हैं तो नगरपालिका के लिए भी वार्ड की सीमा में रखते हुए उसका एक ही भाग बनाया जाएगा।
 9. नगरनिगम/नगरपरिषद अथवा बड़ी नगरपालिकाओं में जहां वार्ड भागों में विभाजित किए जायेंगे, वहां विधानसभा की मतदाता सूची के वे भाग जो पूर्ण रूप से उसी वार्ड में सम्मिलित हैं, को यथावत नगरपालिका के वार्ड के भाग के रूप में मान लिया जाएगा तथा उसका वही मतदान केन्द्र निर्धारित कर दिया जाएगा जो विधानसभा/लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित किया गया था। अधिकांश मामलों में यही संभावना रहेगी। सिर्फ विधानसभा के वे भाग जिनमें नगरपालिका के दो या अधिक वार्डों के मतदाता हैं, वहां विधानसभा के भाग के मतदाताओं की कम संख्या को वार्ड की सीमा तक

ast

विभाजित किया जाएगा तथा नगरपालिका के लिए उक्त विधानसभा के भाग से दो या अधिक, जैसी भी स्थिति हो, नगरपालिका के भाग सृजित कर दिए जाएंगे, अथवा यदि इस प्रकार सृजित हो रहे किसी भाग में मतदाताओं की संख्या कम हैं तो नगरपालिका की मतदाता सूची के लिए नवीन भाग नहीं बनाया जाकर उसी वार्ड के किसी निकटस्थ भाग में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा।

10. इस प्रकार प्रणकों द्वारा सूचनाएं संकलित कर तैयार किए गए प्रपत्र-ए के अनुसार सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख-रेख में ई-सूची (URL <https://www.esuchi.rajasthan.gov.in>) पर Excel Sheet (.CSV format) में दिनांक 10.09.2025 तक अपलोड की जानी है। उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा। स्टेट लेवल एजेन्सी रील द्वारा प्रपत्र-ए की सूचनाओं को अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया हेतु तैयार किए निर्देश परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।
11. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् नगरपालिकाओं की वार्डवार/भागवार कोटा प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से यह जांच भी कर ली जावे कि मतदाता सूची के मुख्य मूल पर अंकित वार्ड के परिसीमन का विवरण सही है, इसमें अन्य वार्डों का कोई स्थान सम्मिलित नहीं है एवं इस वार्ड का कोई भी स्थान छूटा नहीं है। यदि किसी स्थान का सम्मिलित नहीं होना अथवा छूटा होना पाया जाता है तो ई-सूची में यह सुविधा है कि आप अपने स्तर पर इसे अपडेट कर सकते हैं।
12. उक्तानुसार तैयार प्रारूप मतदाता सूची का प्रिंट लेकर दिनांक 11.09.2025 को आवश्यक हार्डकॉपियां (Hardcopies) तैयार कर लेवें। दिनांक 11.09.2025 से 21.09.2025 तक संबंधित प्रणकों द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र-ए त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए ऐसे मतदाताओं से संबंधित वार्ड/भाग के लिए संशोधित प्रपत्र-ए तैयार कर पुनः ई-सूची (e-suchi) पर सूचना अपलोड कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर लेवें।
13. भौतिक सत्यापन के दौरान यदि ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो प्रणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर मौके पर ही उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए। दावों व आपत्तियों के समय यदि उन व्यक्तियों द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी।
14. उक्त कार्य का समुचित पर्यवेक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाएगा। पर्यवेक्षण में अन्य कार्यों के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रणकों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के कार्य का कम से कम क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत नमूना जांच (Sample Testing) की जाएगी।
15. मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से आयोग को दिनांक 22.09.2025 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा।
16. निर्वाचनों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है, अर्थात् प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रणकों से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावधानी एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक

अतः

रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

क्र. सं.	कार्य विवरण	तिथि/अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	24.09.2025 (बुधवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वाड्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	24.09.2025 एवं 25.09.2025 को
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	08.10.2025 (बुधवार) तक
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	06.10.2025 एवं 07.10.2025 को
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	16.10.2025 (गुरुवार) तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	30.10.2025 (गुरुवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	03.11.2025 (सोमवार) को

C. – निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सामान्य निर्देश :-

- नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-13(5) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा-13(5) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2025 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2025 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं है।
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(6) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम नगरपालिका में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता तथा धारा 13(7) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है तथा शेष स्थान/स्थानों से उसका नाम हटा दिया जाए।
- किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
- निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जायेगी एवं इसे सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जा सकेगा। एक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में एक से अधिक भाग हो सकते हैं किन्तु एक भाग में एक से अधिक वार्ड के मतदाता किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। प्रत्येक भाग के लिए पृथक मतदान केन्द्र होगा। इसका आशय यह है कि नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminous) होंगे। प्रत्येक भाग का क्रमांक-1 से प्रारम्भ होगा। नगरपालिका के ऐसे वार्ड, जिनमें 1400 से कम मतदाता हैं, में एक ही मतदान केन्द्र पर्याप्त रहेगा। अतः ऐसे वार्डों को भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।
- किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष मतदाता के रूप में प्रकट नहीं करना चाहे तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।
- चूंकि नगरपालिका प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः मतदान केन्द्र भी प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही निर्धारित कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 4(3)(1)नपा/रानिआ/09/

3532 दिनांक 18.11.2024 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं। जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र वे ही रखे जावे जो लोकसभा/विधानसभा चुनावों में रखे गए थे, ताकि मतदाता के लिए मतदान केन्द्र की पहचान आसान हो सके। मतदान केन्द्रों की संख्या निर्धारित प्रपत्र में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

7. राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड-8 के अनुसार मुद्रित सूचियों से निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व नगरपालिका कार्यालयों के सूचना पट्टों पर तथा वार्ड में सहज दृश्य कम से कम दो स्थानों पर किया जायेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना के फोटो जिला स्तर पर संकलित कर आयोग को ई-मेल के माध्यम से प्रारूप प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर भिजवाए जायेंगे। मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु नोटिस उपरोक्त आदेश, 1974 में प्ररूप-2 में विहित किया हुआ है। वार्डों के निर्वाचक नामावलियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और नगरपालिका के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखी जावेगी।
8. प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर दिनांक 06.10.2025 एवं 07.10.2025 को नगरनिगम/परिषद/बोर्ड के वार्ड/मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभायें आयोजित कर संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा तथा मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा या आपत्ति है तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों में पृथक् निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों को दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में संबंधित आवेदन पत्र (प्ररूप 3, 5 एवं 6) उपलब्ध हैं। पठन-पाठन के उक्त कार्यक्रम में नगरपालिकाओं के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगो को कार्यक्रम की जानकारी भी देंगे।
9. उपरोक्त आदेश के खण्ड-9 के अनुसार दावों व आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निश्चित है और इन्हें निर्धारित प्ररूप-3, 5 और 6 में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्ररूप 3, 5 और 6 का वितरण आयोग के परिपत्र सं. प.4(1)(6)नामा/रानिआ/ 94/300 दिनांक 14.10.94 के अनुसार निःशुल्क किया जाए। दावों व आपत्तियां डाक द्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा में नाम जोड़ने के लिए अधिक मात्रा (Bulk) में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे प्राप्त दावों व आपत्तियों की विस्तृत एवं गहन जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जाए।
10. मतदान केन्द्रों पर दावों व आपत्तियों प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियां दिनांक 06.10.2025 एवं 07.10.2025 निर्धारित की गई है। इन दिनों पदाभिहित अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावों आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे।
11. मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि दावों व आपत्तियों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहित अधिकारियों को भी निर्धारित अवधि के मध्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पदाभिहित अधिकारी भी उसी दिन प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची मतदान केन्द्र पर प्रकाशित करेगा साथ ही मूल दावे व आपत्तियों को अपनी टिप्पणी सहित प्ररूप 8, 9, 10 (परिशिष्ट क्रमशः 5, 6 एवं 7) में सूची के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा। पदाभिहित अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावों व आपत्तियों व अन्य प्रकार से प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा तथा निर्वाचको का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड-12 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
12. दावों व आपत्तियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे दावों व आपत्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास उसी दिन भेज दिया जावेगा।

13. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया उक्त आदेश, 1974 के खण्ड-12 में बतायी गयी है। इसके अलावा खण्ड-13 व खण्ड-14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से भी कार्य करने की प्रक्रिया बतायी गयी है। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची भागवार तैयार कर ई-सूची (e-suchi) पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद पूरक सूची का लेजर प्रिंट लेकर आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियां कराकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन उक्त आदेश, 1974 के खण्ड 15 में विहित प्ररूप-7 में किया जावेगा।
14. निर्वाचक नामावली में अंकित मृत एवं दोहरे मतदाताओं को चिह्नित कर उनका नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही उक्त खण्ड-13 व खण्ड-14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने संबंधी प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत की जाए। मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से मृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएंगे कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान मृत मतदाताओं की भी पहचान कर लें।
15. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात् प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा खण्ड-19 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
16. मतदाताओं के वार्ड/भागवार आंकड़े प्रणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। इन आंकड़ों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली में पत्रित किया जावेगा तथा परिशिष्ट-8 पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावों/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा जिसमें नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकड़े यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरुष एवं अन्य मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे।
17. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उक्त रजिस्टर में संकलित आंकड़ों के आधार पर परिशिष्ट-9 में सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को ई-सूची पर अपलोड कर ऑन लाईन भेजी जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि व कमी हुई है। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से नहीं रह जाए व अपात्र का नाम सम्मिलित नहीं हो।
18. आयोग के परिपत्र सं० 4(1)(6) नपा/रानिआ/94/299 दिनांक 14.10.94 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावलियों का एक-एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।
19. पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों का समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा पम्फलेट वितरित करवाकर विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़े ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।
20. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री कय हेतु प्रारम्भिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा।
निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1974 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्य को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। यदि निर्वाचक नामावली में नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के

विरुद्ध कार्यवाही करेगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत जारी किये गये है।

आज्ञा से,



(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ 3(1)(1)नपा/रानिआ/2024/ 2951-60
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 22.08.2025

1. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को आमजन में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
9. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
10. उप प्रबंधक, REIL जयपुर।


(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

गत आमचुनावों के अनुसार 49 नगरीय निकायों की सूची

क्र.सं.	जिला का नाम	नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम
1.	अजमेर	1. ब्यावर नगर परिषद
		2. पुष्कर
		3. नसीराबाद
2.	अलवर	4. अलवर नगर परिषद
		5. भिवाड़ी नगर परिषद
		6. थानागाजी
3.	बांसवाड़ा	7. बांसवाड़ा नगर परिषद
		8. परतापुर-गढी
4.	बाड़मेर	9. बाड़मेर नगर परिषद
		10. बालोतरा नगर परिषद
5.	बीकानेर	11. बीकानेर नगर निगम
6.	बारां	12. छबड़ा
		13. मांगरोल
7.	भरतपुर	14. भरतपुर नगर निगम
		15. रूपवास
8.	चित्तौड़गढ़	16. चित्तौड़गढ़ नगर परिषद
		17. निम्बाहेड़ा
		18. रावतभाटा
9.	चूरू	19. चूरू नगरपरिषद
		20. राजगढ़
10.	दौसा	21. महवा
11.	हनुमानगढ़	22. हनुमानगढ़ नगर परिषद
12.	जैसलमेर	23. जैसलमेर नगर परिषद
13.	जालौर	24. जालौर नगर परिषद
		25. भीनमाल
14.	झुंझुनू	26. झुंझुनू नगरपरिषद
		27. पिलानी
		28. बिसाऊ
15.	जोधपुर	29. फलौदी
16.	कोटा	30. सांगोद
		31. कैथून
17.	नागौर	32. डीडवाना
		33. मकराना नगर परिषद
		34. पाली नगर परिषद
18.	पाली	35. सुमेरपुर
		36. नाथद्वारा
19.	राजसमंद	37. आमेट
20.	सीकर	38. सीकर नगर परिषद
		39. नीमकाथाना
		40. खाटूश्यामजी
21.	श्रीगंगानगर	41. श्रीगंगानगर नगर परिषद
		42. सूरतगढ़
22.	सिरोही	43. सिरोही नगर परिषद
		44. माउन्ट आबू
		45. शिवगंज
		46. पिण्डवाड़ा
23.	टोंक	47. टोंक नगर परिषद
24.	उदयपुर	48. उदयपुर नगर निगम
		49. कानोड़

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN
Draft Electoral Roll Control Chart

Name of District :

Name of Council / Corporation :

Please use this template to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template.
 Please start filling the template from Sr. No. 1

FORMAT - A

version 1.1

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From Sr.No.	To Sr.No.	Ward No.	Ward Part No.	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							

नगर निकायो में वार्ड पार्ट वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सॉफ्टवेयर (ई-सूची) संचालन हेतु दिशा निर्देश

क्र.सं.	स्टेप	विवरण
1	स्टेप-1	लॉग इन Browser पर जाकर https://www.esuchi.rajasthan.gov.in दाखल करें। लॉग इन password दाखल कर लॉग इन करें।
2	स्टेप-2	ULB का चयन करना Change Preferences फॉर्म में जाकर जिला और साउथिम्प/कार्पोरेशन का चयन कर DONE बटन पर क्लिक करें।
3	स्टेप-3	साउथिम्प/कार्पोरेशन का नाम निर्धारित करना Set name for election फॉर्म को भरण कर साउथिम्प/कार्पोरेशन का नाम हिंदी में दर्ज करें।
4	स्टेप-4	मतदान केंद्र का नाम निर्धारित करना Polling station detail फॉर्म को भरण कर मतदान केंद्र मास्टर सूची की सहा गुद्दी/मन्थान कर लेंगे।
5	स्टेप-5	साउथिम्प/कार्पोरेशन के वार्ड निर्धारित करना Ward-Create/Edit More.. फॉर्म को भरण कर साउथिम्प/कार्पोरेशन के ward में मास्टर सूची की सहा गुद्दी/मन्थान कर लेंगे। कृपया वार्ड के परिमिति अनुसार बिबरण का इंदाज होना सुनिश्चित करें यह मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर छिट होगा।
6	स्टेप-6	साउथिम्प/कार्पोरेशन के वार्ड पार्ट निर्धारित करना Ward-Part Create/Edit More.. फॉर्म को भरण कर साउथिम्प/कार्पोरेशन के ward part की मास्टर सूची की सहा गुद्दी/मन्थान कर लेंगे। Note : सभी वार्ड की सीटिंग - मतदान केंद्र, वडमीन, town, वार्ड वार्ड के परिमिति अनुसार बिबरण इत्यादी की गुद्दी होना सुनिश्चित करें।
ड्राफ्ट मतदाता सूची की पीडीएफ़ फाइल तैयार करना		
7	स्टेप-7	Format-A तैयार कर अपलोड करना Draft Voter List->Upload A document फॉर्म को भरण कर, वार्ड मास्टर में चुनकर Format-A की Excel की Comma Delimited (.CSV format) अपलोड करें। Format-A की EXCEL file Download Section में डाउनलोड की जा सकती है।
8	स्टेप-8	Draft Voter List मन्थान करना Draft Voter List->View Draft Voter List & Remaining voter Summary के माध्यम में ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट मन्थान के लिए देख सकते हैं। डाउनलोड मेथन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड कर ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट की नेचरलिस्ट PDF फाइल डाउनलोड मन्थान के लिए की जा सकती है। इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में बेकमिस्ट भूत छिट होगा।
9	स्टेप-9	साउथिम्प/कार्पोरेशन को फ्रीज करना Draft Voter List->Freeze draft ward summary फॉर्म को भरण कर वार्ड मास्टर का चयन करें। बेकमिस्ट को बेक करने के बाद freeze draft roll बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल फ्रीज करें।
10	स्टेप-10	साउथिम्प/कार्पोरेशन का कन्फर्मेशन मार्किंग करके भरण Draft Voter List->Draft Roll completion certificate फॉर्म भरण कर वार्ड नंबर का चयन करें। बेकमिस्ट को बेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल वैरीफाई करें।
11	स्टेप-11	ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट की पीडीएफ़ फाइल डाउनलोड करना डाउनलोड मेथन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें। ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट की पीडीएफ़ फाइल (With photo, Without Photo) डाउनलोड करें। इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में बेकमिस्ट भूत छिट नहीं होगा।
12	स्टेप-12	ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट की पीडीएफ़ फाइल का नाईट पर अपलोड करना। डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट को गुणों रूप में बेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में डाउनलोड अपलोड मेथन में जाकर पीडीएफ़ फाइल को अपलोड करें। Note : यह सुनिश्चित करें कि पीडीएफ़ फाइल का नाम सही है या की डाउनलोड के समय था, नाम में बदलाव करने पर पीडीएफ़ फाइल अपलोड नहीं होगी।

**नगर निकायो में वार्ड पार्ट वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सॉफ्टवेयर (ई-सूची) संचालन हेतु दिशा निर्देश**

13	स्टेप- 13	मतदाता का Section Address सही करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में गिट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म भ्रमण कर किया जा सकता है।
Supplement/Final मतदाता सूची की पीडीएफ़ फाइल तैयार करना			
14	स्टेप- 14	Format-B तैयार कर अपलोड करना	अगर मतदाता को एक वार्ड में दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की जरूरत है या वार्ड के एक वार्ड वार्ड में दूसरे वार्ड वार्ड में शिफ्ट करने की जरूरत है तो Format-B की Excel को Comma Delimited (.CSV Format) तैयार कर अपलोड करें। अपलोड के पश्चात FORMAT-B को Process कर लेंगे। Format-B की EXCEL फाइल Download Section में डाउनलोड की जा सकती है। NOTE : FORMAT-B में मतदाता की क्रम संख्या DRAFT VOTER LIST की क्रम संख्या होगी। ECI वोटर लिस्ट को क्रम संख्या FORMAT-B में उपयोग नही करें।
15	स्टेप- 15	नए मतदाता को जोड़ना/संशोधन करना	अगर नए मतदाता को जोड़ने की जरूरत है तो claim objection->Add new voter का फॉर्म भ्रमण कर जोड़ लेंगे। अगर नए मतदाता में संशोधन की जरूरत है तो claim Objection->search/modify new voter का फॉर्म भ्रमण कर संशोधन कर लेंगे।
16	स्टेप- 16	फाइल वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन/डिलीट करना	अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन/डिलीट की जरूरत है तो claim objection->update delete voter का फॉर्म भ्रमण कर संशोधन/डिलीट कर लेंगे।
17	स्टेप- 17	Accept/Reject ऑनलाइन एप्लिकेशन	eSuchi PDF factory में ऑनलाइन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात Field verification होने के बाद मध्यम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात Claim-Objection -> online Forms में जाकर ऑनलाइन एप्लिकेशन को Accept/Reject कर। Accept होने पर एप्लिकेशन के मतदाता मॉनिटर/फाइल मतदाता सूची में जोड़ जाएंगे।
18	स्टेप- 18	वार्ड नक्शा को फ्रीज करना	Final Voter List->Freeze Final Roll ward summary फॉर्म भ्रमण कर वार्ड नक्शा का चयन करें। चेरुवारिम को चेक करने के बाद Freeze Final roll बटन पर क्लिक कर फाइल में सेव कर लेंगे।
19	स्टेप- 19	वार्ड नक्शा का कंप्यूटेशन मॉडिफिकेट करके भेजना	Final Voter List->Final Roll completion certificate फॉर्म भ्रमण कर वार्ड नक्शा का चयन करें। चेरुवारिम को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर final में सेव कर लेंगे।
20	स्टेप- 20	फाइल/मॉनीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएफ़ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड मेकअप में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें। जांच इन कर फाइल/मॉनीमेंट वोटर लिस्ट की PDF फाइल(with Photo,Without Photo) डाउनलोड करें। इस समय डाउनलोड की गई फाइल/मॉनीमेंट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द गिट नहीं होगा।
21	स्टेप- 21	फाइल/मॉनीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएफ़ फाइल वेब गार्ड पर अपलोड करना।	फाइल/मॉनीमेंट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड मेकअप में जाकर पीडीएफ़ फाइल को अपलोड कर। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीएफ़ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था, नाम में बदलाव करने पर पीडीएफ़ फाइल अपलोड नहीं होगी।
22	स्टेप- 22	मतदाता का section Address सही करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में गिट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म भ्रमण कर किया जा सकता है।

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम

प्रमाण - पत्र

मैं , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
नगरपालिका / नगर परिषद / नगर निगम प्रमाणित करता हूँ कि नगर
निकाय के वार्ड संख्या 1 से तक तैयार कराई गई सभी वार्डों की
प्रारूप मतदाता सूची इनके परिसीमन के अनुसार सही है। प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी
मतदाताओं का भौतिक सत्यापन प्रगणकों द्वारा किया गया है। मेरे स्वयं के द्वारा
प्रतिशत एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रतिशत भौतिक
सत्यापन के कार्य की नमूना जाँच कर ली गई है।

(अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

न.पा. / न.प. / न.नि.

प्रतिहस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम)

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)

जिला

प्ररूप 8

स्थान का नाम (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)		नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप 3 में प्राप्त आवेदनों की सूची				
		नगरपालिका का नाम :-				
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या		3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख से तारीख तक				
4. सुनवाई का स्थान* :						
आवेदन की क्रम संख्या [§]	प्राप्ति की तारीख	दावेदार का नाम	पिता/माता/पति का नाम और (संबंध)#	निवास स्थान	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
1	2	3	4	5	6	7

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

[§] प्रत्येक सूची के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

संबंध पि-पिता, मा-माता, और प-पति के रूप में कोष्ठकों में अथवा (पि), (मा), (प) दें।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

प्ररूप 9

स्थान का नाम (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	नामों को सम्मिलित करने के विरुद्ध आपत्ति करने के लिए प्ररूप 5 में प्राप्त आवेदनों की सूची							
	नगरपालिका का नाम :-							
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख से तारीख तक							
4. सुनवाई का स्थान* :								
आवेद न की क्रम संख्या [§]	प्राप्ति की तारीख	आक्षेपकर्ता का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित व्यक्ति का ब्यौरा			आक्षेप के लिए संक्षेप में कारण	सुनवाई	सुनवाई
			भाग संख्यां क	क्रम संख्यां क	पूरा नाम		की तारीख*	का समय*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का
स्थान, समय और तारीख।

[§] प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए कमशः
क्रम संख्या देनी होगी।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

प्ररूप 10

अभिहित स्थान की पहचान (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)		निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की विशिष्टियों पर आक्षेप के लिए प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदनों की सूची					
		नगरपालिका का नाम :-					
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या		3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख से तारीख तक					
4. सुनवाई का स्थान* :							
आवेदन की क्रम संख्या [§]	प्राप्ति की तारीख	आक्षेप करने वाले निर्वाचन का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित प्रविष्टि की विशिष्टियाँ		आक्षेप की प्रकृति	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यांक	क्रम संख्यांक			
1	2	3	4	5	6	7	8

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

[§] प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए क्रमशः कम संख्या देनी होगी।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

[illegible]

